

11.12.2024

नि. सुप्रीता

नि. सुप्रीता

आज पत्रावली पेश हुई वकील उक्त पक्ष अर्थात् वादीगण की ओर से प्र.पत्र पेश हुआ जिसमें वादी जिली प्रकाट की कार्यवाही नहीं कराना चाहते हैं इसलिए वादीगण वाद पत्र को विना कराना चाहते हैं

अतः वादीगण अपने वाद पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में वाद पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः वादीगण का वाद स्वाक्षिप्त किया जाता है पत्रावली फौजदारी प्रकाट होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तरी है

आदेश सुनाया गया
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौरा